

- संस्था को किसी अन्य आवश्यक होगा। विश्व विद्यालय समिति द्वारा यदि वह 2021-22 हेतु वित्त का पुनर्निर्धारण किया जाय तो वित्त की नवीनीकरण हो जायेगी।
- संस्था को (30%) प्राथमिक शिक्षा समिति/उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपकर वित्त का पुनर्निर्धारण 2020 की तारीख अनुसार करना होगा।
- संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विषय यह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समाज-संरक्षण पर निर्भर सामनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को एमआईसीटीआईपीसीआईसीआईसी से अलग-थलग रूप से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था द्वारा प्रवेश साक्षात् द्वारा कराये गये विधिविनयी/विधिविनयी/सामनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 30%, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30% द्वारा कराये गये विध्वंस, विध्वंस, अटॉर्नी, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- विध्वंस/इस पत्रिका पाठ्यक्रम की संख्याएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विध्वंस रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई कार्य बाध्य किता जाता है तथा बाध्य बाध के संबंध में ना. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- विध्वंस/इस पत्रिका पाठ्यक्रम संघर्षित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कठिनायित्व प्राप्त होने के पूर्व पीसीआईआईसी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कठिनायित्व के बावजूद ही) संस्था संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमोदी नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनीकरण आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, व्यवसाय शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- संस्था को विद्यालय-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वसतिगृह उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर करने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघर्षित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त, भूमि-सूचना, पत्रिका, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघर्षित में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमोदा की जायेगी।
- संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, सूचना, पत्रिका/साज, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एमआईसीटीआईपीसीआईसीआईसीआईसी के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार

आह्वान

राज्य, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

संख्या- प्राथमिकशिक्षा संशोधन/सम्बद्धता/2022/10779

सम्बद्ध दिनांक- 15/12/2022

आह्वान का अर्थ-

राज्य प्राथमिक शैक्षणिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिकी सहायित्व और इच्छित, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक वर्ष 2022-23 हेतु विद्यार्थी सत्रीय शैक्षणिक शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 16/08/2022 को परिषद आह्वान में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु सर्वोच्च नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने प्रथम क्रम में प्रथम क्रम में सूचीबद्ध अन्य मंडलों पर विचार करती हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने का निर्णय किया गया। सम्बद्धता-समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार नई संस्थाओं को सम्बद्धता या तालमेल प्रौद्योगिकी द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रवेश वन दिया गया था।

प्री-सीओआईओ के माध्यम से संख्या 14-443/2022-PC/Appeal/Process 2022-2023/14765-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत संस्थाओं के पूर्व से इच्छित शैक्षणिक निदेशों के निराकरण का विवरण एफओआईओ/एफओ पर अपलोड करती हुए निदेशों के अंतर्गत प्रवेश क्षमता पर दृष्टिगत करने के लिए मा निर्देशों के अनुसार नई संस्थाओं के साथ-साथ प्रवेश क्षमता पर लेकर प्रवेश क्षमता की नई प्रवेश क्षमता को सम्बद्धता एवं सर्वोच्च के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में प्रवेश के निर्देशों के अंतर्गत एफओआईओ/एफओ पर सम्बद्धता प्रदान होगी।

संस्था का कोड एवं नाम : 4048-GR/ KOMAL SAHU SMARAK PHARMACY COLLEGE

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	प्री-सीओआईओ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदान की गई प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एफओआईओ/एफओ/प्री-सीओआईओ द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, संशोधन विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर किये गए संशोधनों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए प्रदायकों हेतु ₹ 50,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए प्रदायकों हेतु ₹ 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के लिए प्रदायकों (दो वर्षों के लिए प्रदायकों के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क को प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदायकों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सलमन द्वारा निर्णय किये जाने वाले सलमन-सदस्य प्रदायकों को, और उच्चतर शैक्षणिक शिक्षा वन आह्वान होगा। प्रवेश निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश क्षमता निर्धारित किया जाता है, तो प्रवेश की क्षमता दो वर्षों के लिए होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कराई की ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय सलमन-सदस्य के अनुसार निर्देशों एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ सलमन द्वारा प्रवेश सलमन द्वारा कराई की विधि-निर्णय/विधि-निर्णय/सलमन-सदस्य/निर्देशों एवं निर्देशों, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा शिक्षा द्वारा प्रवेश सलमन के विषय यदि कोई बात प्रवेश क्षमता जमा है तथा प्रवेश क्षमता के संबंध में मा, सलमन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अदेश निर्णय किया जाता है तो सलमन प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।

संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, एयर प्रवेश सखनउ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवेदिका प्रवेश परीक्षा में
कार्यालय समेत होने के पूर्व 10-11-2023/2024/2025-2026 से अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराना
होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालय के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत परीक्षा प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

- ✓ एयर प्रवेश सखनउ द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समाप्त पर निर्णय नवीनतम आदेशों नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साब-सखा, उपकरण,
प्राप्त किया जाने वाला सुनक, आवाज सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविष्टि हेतु उपयुक्त सखनउ उपलब्ध कराने के साथ वैशेष देखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक जानकारी
सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में कार्यालय संबंधित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध
कर्मचारी अधिदेश, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संस्थान में प्रवेश
किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो
संस्था संस्था की सम्बद्धता समस्त विवरण देने वाली जानकारी को करेगी।
- ✓ संस्था के शैक्षणिक-सहायक निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साब-सखा
10-11-2023/2024/2025-2026/2027 के अनुरूप उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता समस्त कर ले
जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किन्हीं अन्य कार्य का उपलब्ध किन्हीं करने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालन
कराया जायेगी।

(Handwritten Signature)

(एयर-प्रवेश सखनउ)

सचिव

पूना- कॉलेज-ऑफ-फार्मासी-एंड-ड्रग्स-18771-1888

15/11/2022

संस्थान-

श्री. कोमल बाहु स्मारक फार्मासी कॉलेज

(Handwritten Signature)

(एयर-प्रवेश सखनउ)

सचिव

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...


 (Name of the person)

...

Date: 12-08-2022

...

...

...


 (Name of the person)

...